176/322
31/1/17

संख्याः फिन (पेन)बी (10)–3/2006–खण्ड–1
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (पेन्शन) विभाग

प्रेषक

प्रधान सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला–171002

प्रेषित

1 समस्त प्रशासनिक सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

2 समस्त विभागाध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश ।

3 मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः शिमला–171002 27/1/2017

विषयः– 1–1–2016 से 30–6–2016 तक सेवानिवृत होने वाले सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की विवरणियों न भेजने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 2015 की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 के नियम 56 के अन्तर्गत सभी विभागाध्यक्षों को अगले 24 से 30 महीनों के दौरान सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की सूचियां महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को भेजना अनिवार्य है परन्तु महालेखाकार कार्यालय ने उनके पत्र संख्याः पैन्शन–1/पै.वी.क./जोशी/रिपोर्ट/2016–17/1676–77 दिनांक 25–11–2016 द्वारा इस विभाग के ध्यान में लाया है कि विभिन्न विभागों द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत वांछित सूचियां नहीं भेजी जा रही है।

इसी तरह केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम,1972 के नियम 61(4) के अन्तर्गत प्रावधान है कि सभी सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेन्शन मामले उनकी सेवानिवृत के 6 महीने पहले महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को प्रेषित किए जांए ताकि सेवानिवृत हो रहे कर्मचारियों के पेन्शन मामलों को उनकी सेवानिवृति से पहले निपटाकर समय पर पेन्शन लाभ दिया जा सके। परन्तु उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश ने इस विभाग के ध्यान में लाया है कि विभिन्न विभागों तथा उनके अधीन कार्यरत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंन्शन) नियम, 1972 के प्रावधानों विशेषकर नियम 56 व 61 की अनुपालना नहीं की जा रही है जिसके कारण पेन्शनरों को लम्बे समय तक उनको पेन्शन लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है।

P. A. Cell
DHE
30 JAN 2017

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालय अध्यक्षों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 के नियम 56 से 61 की सख्ती से अनुपालना करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों / अधिकारियों के पेन्शन मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 के नियम 61(4) के अन्तर्गत सेवानिवृति से 6 महीने पहले महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश के कार्यालयों को भेजे जायें। सभी विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि नियम 56 में वांछित सूचना भी निश्चित समयावधि के भीतर महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को समय-समय पर भेजा करें।

इसके अतिरिक्त अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सख्त हिदायतें जारी करें कि वह सेवानिवृत अधिकारियों / कर्मचारियों की जन्म तिथि, ऐम्पिड कोड, डी0डी0ओ0 कोड, फार्म-3 में पारिवारिक पेन्शन के लिए जन्म तिथि और सेवानिवृति की सही तिथियां विशेष तौर पर मृत कर्मचारियों और स्वेच्छा से निवृत कर्मचारियों की जन्मतिथि भी विवरणियों में दर्शाना सुनिश्चित करें। यह सभी विभागों से अपेक्षित है कि वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अमल किया जाए ताकि सेवानिवृत अधिकारियों / कर्मचारियों के पेन्शन मामलों का समय-बद्ध तरीके से निपटारा हो तथा सेवानिवृति लाभों का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,

[signature]

विशेष सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठाकन संख्याः यथोपरि
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

दिनांकः 27-1-2017

1. उप महालेखाकार (ले0.व ह0), हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 को उनके अ0शा0 पत्र संख्याः पेन्शन-1 / पै.टी.क. / जोशी / रिपोर्ट / 2016-17 / 1676-77 दिनांक 25-11-2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. प्रधान आवासीय आयुक्त, हि0प्र0 हिमाचल भवन, 27 -सिकन्दरा रोड़, नई दिल्ली।
4. मुख्य अभियन्ता, हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग / सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग।
5. पंजीयक, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला-1
6. समस्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त नियन्त्रक / संयुक्त नियन्त्रक / उप नियन्त्रक / सहायक नियन्त्रक / अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा) हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त जिला कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय।

Smt. Nirmal | Smt. Sharma / Parul

[signature]

विशेष सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

31/1/17

शिक्षा निदेशालय ... हि०प्र०
14 MAR 2017
शिमला - 1

शिक्षा निदेशालय उच्चतर
हिमाचल प्रदेश, शिमला

पृष्ठांकन सख्ंयाः ई0 डी0एन0(1)बी(15)1/2009–दिंनाक 14/3/2017
सुचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. प्रधान सचिव (वित्त)हिमाचल प्रदेश शिमला–02 आपके पत्र संख्या फिन (पेन)बी(10)–3/2006 दिनांक 27–01–2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. प्रधान सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2 सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. अति0 शिक्षा निदेशक स्कूल शिक्षा निदेशालय उच्च. हि0प्र0।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक(प्र0) शिक्षा निदेशालय उच्च. हि0प्र0।
5. संयुक्त शिक्षा निदेशक का0–I / का0–II. शिक्षा निदेशालय उच्च. हि0प्र0।
6. संयुकत नियंत्रक (वि0 एवं लेखा). शिक्षा निदेशालय उच्च. हि0प्र0।
7. उप निदेशक(उच्च)/ सहायक शिक्षा निदेशालय (उच्च) शिक्षा निदेशालय उच्च. हि0 प्र0।
8. समस्त प्राचार्य रा0 महा0 विद्यालय हि0प्र0 ।
9. समस्त उप निदेशक. हि0प्र0 अग्रिम कार्यवाही हेतू ।
10. तकनीकी अधिकारी शिक्षा निदेशालय (उच्च) वेब साईट अप–डेट करने हेतू।
11. समस्त अधीक्षक शिक्षा निदेशालय (उच्च) हि0प्र0 उपरोक्त मामले पर आगामी कार्यवाही करें।
12. रक्षक नस्ति ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक(प्र0) 10/Mar/17
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1

(06)

IT Cell